न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/04/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/5

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री कमलजीत, नि0 ग्राम–भिण्डूसी, तहसील–तिजारा (अलवर)राज.–301405		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 03.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 21.02.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 13.12.2021 के द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय से राजस्व पुनर्वास वाद फाइल 2020/661 आ.ख.नं. 507,508 ग्राम–भिण्डूसी में लगाये गये समस्त सहमति पत्रों (Agreement) की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र दिनांकः 13.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। स्मरण–पत्र जारी कर व ई–मेल के माध्यम से भी इस अनुक्रम में सूचित किया गया किन्तु प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
6. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 13.12.2021 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर नही भिजवाया जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है व उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का प्रतीक है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे, सुनिश्चित करें।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांकः 21.02.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)